



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 06.06.2026

- इटावा पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 04 अभियुक्त गिरफ्तार ।
- अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से चोरी की 05 मोटरसाइकिल, 09 चेसिस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व मोटरसाइकिल काटने के उपकरण बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना सैफई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन दिनांक 05.06.2026 की रात्रि को थाना सैफई पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत रकूईया नहर पुल पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग कर रही थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 02 मोटर साइकिलों पर 02 व्यक्ति जिन पर चोरी की मोटरसाइकिले एवं अवैध असलहा है, कुरा की तरफ से हवाई पट्टी की ओर आ रहे हैं । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए रुकैया नहर पुल के पास घेराबंदी कर दो मोटरसाइकिलों पर सवार अमन मंसूरी पुत्र राजू खान तथा सुग्रीव पुत्र राकेश को पकड़ लिया गया ।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये अभियुक्तों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 01 अवैध चाकू बरामद हुआ । बरामद सामान एवं मोटरसाइकिलों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अपने साथियों के साथ मिलकर पीजीआई सैफई एवं आसपास के क्षेत्रों सहित अन्य जनपदों में घूम-घूमकर मोटरसाइकिल चोरी करते है । चोरी की मोटरसाइकिलों के इंजन, चेसिस व अन्य महत्वपूर्ण पार्ट बदलकर उन्हें बेच देते थे तथा शेष सामान कबाड़ में बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करते है ।

अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके अन्य साथी नगला चैनसुख के जंगल क्षेत्र में चोरी की मोटरसाइकिलों एवं उनके पार्ट्स के साथ मौजूद हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा नगला चैनसुख के जंगल क्षेत्र से अभियुक्त जुनैद पुत्र इब्राहिम एवं प्रमोद कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महावीर सिंह को चोरी की अन्य मोटरसाइकिलों, कटी हुई चेसिस, पेट्रोल टंकी, साइलेंसर एवं मोटरसाइकिल काटने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सैफई पर मु0अ0सं0 117/2026 धारा 303(2),317(2), 318(4),336(3),338,340 बीएनएस व धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अमन मंसूरी पुत्र राजू खान निवासी कस्बा कुरा थाना कुरा जनपद मैनपुरी ।
2. सुग्रीव पुत्र राकेश निवासी रतीभानपुर थाना कुरा जनपद मैनपुरी ।
3. जुनैद पुत्र इब्राहिम निवासी कुदरकोट थाना कुदरकोट जनपद औरैया ।
4. प्रमोद कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महावीर सिंह निवासी मड़ेखड़ा थाना कुरा जनपद मैनपुरी ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सुग्रीव पुत्र राकेश

1. मु0अ0सं0 292/25 धारा 147/148/307/504/506 थाना करहल जनपद मैनपुरी ।
2. मु0अ0सं0 292/25 धारा 115(2)/125/191(2)/351(3)/352 थाना करहल जनपद मैनपुरी ।
3. मु0अ0सं0 117/2026 धारा 303(2),317(2), 318(4),336(3),338,340 बीएनएस व धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना सैफई जनपद इटावा ।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 02 अवैध चाकू
4. 05 मोटरसाइकिल
5. 09 चेसिस
6. 05 पेट्रोल टंकी
7. 02 साइलेंसर
8. 08 रिंच
9. 03 गोटी
10. 02 प्लास
11. 01 हथौड़ी
12. 02 बैट्री मोटर साइकिल
13. 01 ग्रांडर

पुलिस टीम- निरी0 श्री भूपेन्द्र सिंह राठी प्रभारी थाना सैफई, उ0नि0 स्वदेश कुमार, उ0नि0 संजय कुमार दुबे, हे0का0 मानवेन्द्र, का0 अनुराग कुमार, का0 रोहित तोमर, का0 संदीप चौधरी, का0 महेश कुन्तल, का0 परविन्द्र कुमार, का0 सुशील कुमार